



2026:AHC:51464

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3499 वर्ष 2026

जितेंद्र प्रसाद

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बृजेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

11. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 13.06.2006 को देवरिया कलेक्ट्रेट के नजारत में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और पूरी तरह से पात्र और योग्य होने के नाते वह ग्रुप-'सी' पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन, यद्यपि परीक्षा 10.11.2025 को आयोजित की गई थी, फिर भी पात्र और योग्य होने के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया।

3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सबसे पहले प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

4. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिस पर प्रतिवादी संख्या 2, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माह की अवधि के भीतर, उपयुक्तता, पात्रता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए कानून के

डब्ल्यूआरआईए संख्या 3499 वर्ष 2026

2

पूर्णतः अनुरूप रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

13 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।